



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 588 राँची, गुरुवार, 13 आश्विन, 1945 (श०)
5 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

3 अगस्त, 2023

संख्या-5/आरोप-1-4/2021-23312(HRMS)--श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (तृतीय बैच) तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर के विरुद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-242, दिनांक 25.03.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं आमजनों के प्रति असंवेदनशीलता संबंधी प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-1676(HRMS), दिनांक 15.02.2021 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया तथा संकल्प सं०-18188(HRMS) दिनांक 24.11.2022 इनके विरुद्ध द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-18, दिनांक 24.01.2023 द्वारा कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है ।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अधिसूचना सं0-19604(HRMS), दिनांक 16.03.2023 द्वारा श्री सिंह को निलंबन से मुक्त किया गया है तथा जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए उनके विरुद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-1639, दिनांक 18.03.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है।

श्री सिंह के पत्र, दिनांक 20.04.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा निम्नवत् है-

(i) उनके द्वारा वयोवृद्ध पिताजी के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर कारणों से दिनांक 24.12.2020 से 02.01.2021 तक HRMS पद्धति से उपायुक्त, देवघर से अवकाश स्वीकृति उपरांत ही मुख्यालय से बाहर रहने पर उपायुक्त, देवघर के आदेश सं0-811/स्था0, दिनांक 28.12.2020 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर को दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु अंचल अधिकारी, देवघर के अवकाश से वापस आने तक के लिए प्राधिकृत किया गया था। पिताजी के स्वास्थ्य में आवश्यक सुधार नहीं होने के कारण उनके द्वारा पुनः दिनांक 04.01.2021 से 06.01.2021 तक कुल तीन दिनों का अवकाश विस्तार हेतु HRMS पद्धति के माध्यम से उपायुक्त, देवघर को आवेदन प्रेषित कर अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। पिताजी के स्वास्थ्य में आवश्यक सुधार होने के बाद उनके द्वारा अवकाश उपभोग कर दिनांक 07.01.2021 से अंचल के कार्यों का निष्पादन किया जाने लगा।

(ii) उनकी तबियत खराब होने के कारण चिकित्सक द्वारा एक सप्ताह (दिनांक 09.01.2021 से 16.01.2021 तक) का पूर्ण आराम करने की सलाह दी गयी थी।

(iii) जाँच दल द्वारा विलंब के संदर्भ में कोई कारण पृच्छा उनसे नहीं की गयी।

(iv) उपायुक्त, देवघर का पत्रांक-143/विधि, दिनांक 29.01.2021 द्वारा निर्दिष्ट न्यायालय से संबंधी कार्य, अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर का ज्ञापांक-29/गो0, दिनांक 16.01.2021, ज्ञापांक-32/गो0, दिनांक 18.01.2021, ज्ञापांक-46/गो0, दिनांक 27.01.2021 तथा ज्ञापांक-57/गो0, दिनांक 28.01.2021 द्वारा निर्देशित अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्य एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक-60/निर्वा0, दिनांक 22.01.2021 द्वारा निर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कार्यों को करने हेतु प्राप्त निर्देश के कारण जाँच दल को वांछित कागजात उपलब्ध कराने में थोड़ा समय लगा।

(v) जाँच दल द्वारा अंचल में एक वर्षों में किये गये कार्यों की सूची बनाने हेतु दिये गये निर्देश के कारण एवं उपरोक्त आदेश के निर्वहन के कारण थोड़ा समय लगा।

श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में द्वितीय कारण पृच्छा में वयोवृद्ध पिताजी के

स्वास्थ्य संबंधी गंभीर कारणों एवं उनकी तबियत खराब होने के कारण चिकित्सक द्वारा एक सप्ताह (दिनांक 09.01.2021 से 16.01.2021 तक) का पूर्ण आराम करने की सलाह देने का उल्लेख किया गया है तथा उक्त से संबंधित चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट संलग्न की गई है ।

राजस्व संबंधी कागजातों को विलंब से उपलब्ध कराने के संबंध में श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में कहा गया है कि उपायुक्त, देवघर तथा अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर द्वारा निर्देशित अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्य एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, देवघर द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों को करने हेतु प्राप्त निर्देश के कारण जाँच दल को कागजात उपलब्ध कराने में थोड़ा समय लगा ।

अतः समीक्षोपरांत श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर द्वारा समर्पित साक्ष्यों के आलोक में द्वितीय पृच्छा को पृच्छा को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KUMAR SINGH 110071165689	श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच) तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
